प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

दुष्कर्म के दो अभियुक्तों को हुयी सजा

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारी को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

जिसके क्रम में थाना रामपुर कलां से सम्बन्धित मु0अ0सं0 511/10 धारा 376/506 भा.द.वि बनाम शिवराज पुत्र भभूती निवासी शंकरपुर थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर व थाना मिश्रिख से सम्बन्धित मु0अ0सं0 291/17 धारा 376/307/323/506 भादवि व 3(2)(5) एससी/ एसटी एक्ट बनाम हसीब गद्दी पुत्र बुद्धी निवासी ग्राम बौधनी थाना मिश्रिख सीतापुर पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज माननीय अपर सत्र न्यायालय पाक्सो एक्ट कोर्ट सं0-15 द्वारा विचारण पूर्ण कर अभियुक्त शिवराज को अन्तर्गत धारा 376/506 भा.द.वि में 14 वर्ष सश्रम कारावास व 6,000/- रू0 अर्थदण्ड तथा माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी एक्ट) द्वारा अभियुक्त हसीब गद्दी उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 376/307/323/506/ भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी।

---------------O---------------